भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-अपीलार्थी की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता या बाद के खरीदार को अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है-हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था -

/

उच्च न्यायालय पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. पर निर्भर है। बनाम हरकचंद मिसरीमल सोलंकी और ओआरएस ने माना कि अधिग्रहण

प्रश्न भूमि के संबंध में कार्यवाही जो यू/एस के तहत समाप्त हो गई है।24(2) 2013 अधिनियम के इस आधार पर कि न तो विषय भूमि का कब्जा लिया गया है और न ही मूल याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया गया है/भुगतान किया गया है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बाद के खरीदार को अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-अन्यथा भी, पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है

/

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य के मामले में -

गॉडफ्रे के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करना

फिलिप्स (आई) लिमिटेड, शिव कुमार और इंदौर विकास प्राधिकरण,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर-अपील की अनुज्ञात गई।

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एस**.** सी**.** सी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

पुणे नगर निगम और अन्न बनामहरकचंद मिसरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183; शिव कुमार और एन. आर. वी.भारत संघ और ओआरएस। (2019) 10 एस. सी. सी. 229; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स

/

(I) लिमिटेड और अन्य। **(2022** की सिविल अपील संख्या **3073** ने निर्णय लिया

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा**);** एम**.** वेंकटेश और ओआरएस बनामआयुक्त**,** बैंगलोर विकास प्राधिकरण **(2015)**

17 एस**.** सी**.** सी**. 1-**संदर्भित।

/

202 ए.

203

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाममंजीत कौर और ए. एन. आर.

संदर्भित निर्णय

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **6,7**

(2014) 3 एससीसी **183**

संदर्भित

पैरा **2,6**

(2019) 10 एससीसी **229**

संदर्भित

पैरा **3,4,7**

/

(2015) 17 एससीसी **1**

संदर्भित

पैरा **4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 1458।

2016 के डब्ल्यू. पी. सी. सं. 6158 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2017 के निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।सुमित बंसल, सुश्री एन. अन्नपूर्णी, नितिन मिश्रा, ईशान शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 6158 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात है और घोषणा की है कि खसरा संख्या के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही।12) और नई दिल्ली के गाँव सतबाड़ी की राजस्व संपदा में स्थित कुल 2 बीघा (668/2 (01-08) को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त माना जाता है, दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक पेश हुए विद्वान वकील को सुना और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।

/

/

/

निगम और एन. आर. बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य।

(2014) 3 एस. सी. सी. **183,** और यह देखते हुए कि न तो प्रश्न भूमि का कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजे की निविदा दी गई है **/**

/

204

/

[2023] 2 एस सी आर।

/

पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार भुगतान किया गया

निगम **(**ऊपर**)**।

3. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी (ओं) की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता के बाद के खरीदार होने के नाते अधिग्रहण/अधिग्रहण की मानित चूक को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।मूल रिट याचिका में किए गए अभिकथनों से भी, मूल रिट याचिकाकर्ता ने बिक्री के समझौते, असाइनमेंट डीड, रसीद और कब्जा पत्र, बिजली बिल और संपत्ति कर बिल (पैरा 2) के आधार पर स्वामित्व का दावा किया, "बिक्री विलेख" शब्द को स्याही से डाला गया है।हालांकि, कोई बिक्री विलेख आगामी नहीं है, इस प्रकार, मूल रिट याचिकाकर्ता ने बेचने के समझौते के स्वामित्व और कब्जे का दावा किया, असाइनमेंट विलेख, जो भी हो, मूल रिट याचिकाकर्ता या बाद के खरीदार।हालाँकि, अपीलार्थी (ओं) की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता या बाद के खरीदार के पास अधिग्रहण/मानित चूक अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया है।क्या बाद के खरीदार के पास अधिग्रहण/मानित चूक अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, यह इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए समग्र नहीं है।

/

/

/

शिव कुमार और अन्न के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य। (2019)

10 एस**.** सी**.** सी**. 229** और दिल्ली के मामले में इस न्यायालय का बाद का निर्णय

विकास प्राधिकरण बनाम। गॉडफ्रे फिलिप्स **(**आई**)** लिमिटेड और अन्य। सिविल अपील सं**. 3073/2022**।

/

4. गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में

अधिग्रहण कार्यवाहियों की समाप्ति का दावा करने के लिए बाद के खरीदार के स्थान पर अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, अर्थात, शिव कुमार (उपर्युक्त),

मीरा साहनी बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य**, (2008) 9** एस**.** सी**.** सी**. 173** और एम**.** वेंकटेश और अन्य। बनाम आयुक्त**,** बैंगलोर विकास प्राधिकरण **(2015) 17** एस**.** सी**.** सी**. 1,** यह विशेष रूप से मनाया जाता है।

/

और अभिनिर्धारित किया कि बाद के खरीदार के पास अधिग्रहण कार्यवाही की समाप्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।शिव कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का बाद में इस न्यायालय ने कई निर्णयों में पालन किया है।

/

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में गंभीर गलती की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण मूल रिट याचिकाकर्ता-बाद के खरीदार द्वारा दायर रिट याचिका में समाप्त हो गया है।

6. अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, प्रश्न भूमि का कब्जा ए द्वारा नहीं लिया जा सकता था।

/

205

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाममनजीत कौर और

एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

लंबित मुकदमेबाजी/रोक के कारण प्राधिकरण।इस न्यायालय का निर्णय

पुणे नगर निगम (ऊपर) के मामले को खारिज कर दिया गया है

इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129।पैराग्राफ में

366, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः- “366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

/

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।मुआवजे को (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि का नुकसान नहीं होता है।

/

/

206

/

[2023] 2 एस सी आर।

अधिग्रहण की कार्यवाही।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के अधिनियम के अंतर्गत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के अंतर्गत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।

/

/

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और

मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

/

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है या ए

/

/

207

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाममनजीत कौर और

एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में क्षतिपूर्ति जमा करने का तरीका। "

7. शिव के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करना

कुमार (ऊपर), गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (ऊपर) और इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण में कोई चूक नहीं मानी जाएगी।उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिका खारिज हो जाती है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

/

/

/

/

/